टीएम/2(36)/2021/ दिनांक 11/08/2021

ट्रेड नोटिस सं. /2021

विषय : डीपीडी निकासी के लिए लागू शर्तों का उदारीकरण - के संबंध में।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने दिनांक 15.07.2021 से आयात नौभार के सुविधा स्तर को 90% तक बढ़ाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीकों का उपयोग करके अपने जोखिम प्रबंधन को अनुकूलित किया है ताकि आगमन पर कंसाईन्मेंट को तुरंत निपटाया जा सके,जिससे सीधे पत्तन से वितरण के आसार बढेंगे और आयातकों के समय तथा उनके द्वारा वहन किए जाने वाली लागत में कटौती होगी। । इसके अलावा, बडी संख्या में आयातकों को डीपीडी की सुविधा का लाभ उठाने हेतु प्रेरित करने के लिए,सीबीआईसी ने डीपीडी निकासी की लागू शर्तों को उदारीकृत बनाया गया है ताकि सीधे पत्तनों से डिलीवरी करने में सुविधा हो सके। इकाई आधारित डीपीडी से सीमा शुल्क दस्तावेज (बिल ऑफ एंट्री) आधारित डीपीडी यह एक आदर्श बदलाव है जो डीपीडी का लाभ उठाने के लिए पोर्ट/टर्मिनल की वर्तमान आवश्यकताओं के लिए आयातकों के लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

अवर सचिव,पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय,भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या पीडी-14033/47/2018-पीडी-वी दिनांक 30.07.2021 द्वारा सभी संबंधितों को निदेश दिया है कि उपरोक्त पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सक्रिय रुप से भाग लें और साथ ही व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा देने के लिए संबंधित हितधारकों को अवगत कराएं ।

एमपीटी,गोवा पहले से ही 100% डीपीडी/डीपीई प्राप्त कर रहा है,अत: यह नोटिस, ट्रेड सदस्यों की जानकारी के लिए और सभी हितधारकों को सूचित करने के अनुरोध से जारी की जाती है।

यातायात प्रबंधक

सेवा में,

अध्यक्ष, मुरगांव शिप एजेंट्स एसोसिएशन
अध्यक्ष, मुरगांव स्टीवडोर्स एसोसिएशन
} अपने सदस्यों और प्रमुखों को सूचित करने के अनुरोध से

प्रतिलिपि:

श्री रामेश्वर कुमार, अवर सचिव,पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय,नई दिल्ली।
सीमा शुल्क आयुक्त, कस्टम हाउस, मुरगांव- गोवा
अध्यक्ष का कार्यालय/उपाध्यक्ष का कार्यालय
एमपीटी वेबसाइट